संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी म.प्र.
आफिस काम्प्लेक्स, बी ब्लाक, गौतम नगर मध्यप्रदेश भोपाल–23
दूरभाष क्रमांक 0755–2583313

जावक क्र. 1341

भोपाल, दिनांक 18 जून 2025

एडवाईजरी (परामर्श)

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना/अन्य कृषक हितग्राही योजनाओं का लाभ दिये जाने के नाम पर ठगी के संबंध में

परिचयः–

किसान कल्याण तथा कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजना "कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना" लॉटरी द्वारा चयनित सूची का प्रकाशन विधिवत पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है, तथा पंजीकृत निर्माता अथवा उनके अधिकृत विकेता की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध होती है। कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत/**अन्य कृषक हितग्राही योजनाओं** में हितग्राही की चयन की प्रकिया पूर्णताः पारदर्शी है तथा इस प्रक्रिया में किसी भी हितग्राही से शासन संपर्क नही करता है।

कार्य प्रणालीः–

सायबर ठग/अनजान व्यक्ति द्वारा विभाग एवं अधिक्कारियों के नाम का उपयोग करते हुये लोगों से ठगी एवं जालसाज के लिए उकसाया जाकर पैसा उगाही किये जाने से संबंधित सूचनाये प्राप्त हो रही है। जालसाज द्वारा हितग्राहियों को कॉल कर अपने आप को विभागीय अधिकारी बताकर अनुदान भुगतान तत्काल किये जाना चाहते हो तो जानसाजों द्वारा बतायी गयी राशि को किसी खाते में या यूपीआई के माध्यम से भेजदे एसा आग्रह करते है। अधिकांशता जालसाजों द्वारा नवीन तकनीकों जैसे एआई का उपयोग कर संचालनालय के फर्जी डाक्यूमेंट बनाकर अच्छी–खासी रकम जमा कराने का दवाब डाला जाता है/जा रहा है।

एतीहातः–

1. अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, वॉट्सऐप कॉल/विडियों कॉल/अन्य सोशलमिडिया से प्राप्त होने वाले कॉल उठाये विशेषताः 07056847570, 07088438459, 0756847570, 9520711020 इत्यादि हो तो उन्हें बिल्कुल भी ना उठाये।
2. अनजान व्यक्तियों पर विश्वास न करे, उनसे किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। हो सकता है वह आपकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त कर आपको परेशान करे।
3. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विभागीय अधिकारी बताकर/विभागीय अधिकारी के नाम से भी आपसे बात करे तो एकदम से उसकी बात पर विश्वास न करें।
4. यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदिकी पुलिस थाने में www.cybercrime.in या Cyber Crime Help line (Toll free) नम्बर 1930 पर करें।

for संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल